न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1714/2005/भरतपुर.

श्याम लाल पुत्र भमरी जाटव निवासी नगला तोता मजरा पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।
2— राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

3— राजकीय प्राथमिक शाला नगला तोता जरिये प्रधानाध्यापक नगला तोता तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....तरतीबी प्रत्यर्थी

खण्ड—पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

———

उपस्थिति:
श्री वैभव कृष्ण पारीक,विद्वानअधिवक्ता अपीलार्थी।
श्रीएस.पी. ओझा, विद्वान राजकीय अधिवक्ताप्रत्यर्थी सरकार।
प्रत्यर्थी सं0—3 अनुपस्थित।

———

निर्णय

दिनांकः— 04/08/2025.

1— हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 229/2001, बउनवान श्यामलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—03—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील याचिका के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, रूपवास के समक्ष इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नंबर 157 रकबा 01 बीघा 17

बिस्वा वाके ग्राम बगला तोता मजरा पिचूना तहसील रूपवास में से रकबा एक बीघा प्राथमिक शाला नगला तोता को आवंटन हुआ एवं 6 बिस्वा रास्ते में काम आने के कारण 11 बिस्वा भूमि अपीलार्थी/वादी की खातेदारी खेत में मिली हुई है। उक्त 11 बिस्वा भमि पर वह संवत 2012 से लगातार काबिज चला आरहा है, इस भूमि में कुंआ खुदवाया तथा इसकी सनद् भी वर्ष 1973 में वादी को जारी हुई। वादी इस भूमि पर बाड़ी लगाकर व फलदार वृक्ष लगाकर काबिज है। वादी का इस भूमि पर मुखालफाना कब्जा हो चुका है। उक्त 11 बिस्वा भूमि वादी के खेत खसरा नंबर 239 में मिली हुई है, जिसका उसे खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य ली जाकर एवं अंतिम बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–6–2001 द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर वादी अपीलार्थी ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–03–2005 द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर दी।

यह कि उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से व्यथित होकर अपीलार्थीद्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 157 के पश्चिमी हिस्से की 11 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के खेत खसरा नंबर 239 से मिली हुई है तथा उक्त 11 बिस्वा भूमि पर वह संवत 2012 के पूर्व से काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई प्रतिवाद नहीं किया है न ही वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विरूद्ध कोई साक्ष्य पेश की है, जिससे वादी का वाद पूर्णतया साबित था। वादग्रस्त भूमि पर लगाये गये वृक्ष काफी बड़े हो गये हैं। वादी लगभग 50 वर्षो से भी अधिक समय से इस खसरा नंबर 157 की 11 बिस्वा भूमि पर लगातार काबिल चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर उसे मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इन समस्त तथ्यों को नज़रंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का वाद खारिज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जावें तथा वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

4— इसका घोर विरोध करते हुए प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि का आंवटन नहीं किया गया है। उसे किस आधार पर भूमि प्राप्त हुई, वह यह दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं बता पाया है। यदि वह खसरा नंबर 157की 11 बिस्वा भूमि प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्थानीय आवंटन कमेटी के समक्ष चाराजोई करनी चाहिए। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 88, 89 व 188 के तहत दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मिलकियत सरकार दर्ज है, जिसमें से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 16 के तहत मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य इत्यादि का अवलोकन कर विधिवत निर्णय व डिक्री पारित किये हैं। ऐसी स्थिति में इस द्वितीय अपील के माध्यम से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।

5— उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के यथोचित निस्तारण हेतु हमारे समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः—

''आया योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, रूपवास ने अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 18—6—2001 पारित करने में एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 21—03—2005 से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18—6—2001की पुष्टि करने मेंविधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि कारित की है?''

6— उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह प्रकट होता है किअपीलार्थी वादी द्वारा विवादित खसरा संख्या 157 रकबा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्व वाद पेश कर उक्त भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 157 रकबा 1 बीघा 17 मिलकियत सरकार दर्ज है, साथ ही गांव के मार्ग तथा पगडंडिया रास्ता भी अंकित है तथा विशेष नोट में 157 की एक बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगला तोता मजरा पिचूना के नाम स्वीकृत होने का अंकन है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। चूंकि अपीलार्थी/वादी का मुख्यतः यह कथन है कि खसरा नंबर 157 की 11 बिस्वा भूमि उसके खेत खसरा नंबर 239 के पश्चिम में मिली हुई है तथा

संवत 2012 से अर्थात 50 वर्ष से अधिक समय से उक्त भूमि पर लगातार काबिज चला आ रहा है। अपीलार्थी वादी द्वारा इसके समर्थन में कोई सुदृढदस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। अपीलार्थी वादी विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहता है, जबकि राजस्व विधि सुस्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अपीलार्थी/वादी यह दर्शित करने में असफल रहा है कि उसे किस वैध दस्तावेजात के आधार पर विवादित खसरा नंबर 157 की 11 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई। चूंकि अपीलार्थी वादी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है तथा किसी भी अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे विनम्र मत में योग्य विचारण न्यायालय ने इसी अनुरूप अपना मत प्रकट करते हुए अपीलार्थी वादी का वाद खारिज किया है तथा उक्त निर्णय की पुष्टि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने करते हुए अपीलार्थी की प्रथम अपील को खारिज किया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयसमवर्ती होकर एक समान निष्कर्षों पर आधारित है, जिनमें ऐसी कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि प्रकट नहीं होती है, जिसके आधार पर उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में हस्तगत द्वितीय अपीलसारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

7— परिणामतः हस्तगत अपीलअंतर्गत धारा—224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष